

# सामाजिक समाधात प्रभाव एवं प्रबन्धन प्रतिवेदन का मूल्यांकन गागरिन मध्यम सिंचाई परियोजना की नहरी तंत्र (डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 10 के तहत जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक 18/भू.अ./ज.ससा/2018/778 दिनांक 07.07.2020 द्वारा बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया।

अधिशासी अभियन्ता चंवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड़ द्वारा गागरिन मध्यम सिंचाई परियोजना की नहरी तंत्र डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम तहसील पिडावा जिला- झालावाड़ के कार्य क्षेत्र में आ रही भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 व 5 के तहत सेन्टर फार डबलमेन्ट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्रुक्चर (सीडेक्स) जयपुर द्वारा तैयार सामाजिक समाधात प्रभाव एवं प्रबन्धन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन का बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का उपधारा 7 उपधारा (4) व (5) के तहत मूल्यांकन किया गया।

मूल्यांकन पश्चात बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की अनुशंषा निम्नानुसार है।

1. इस परियोजना से लोक प्रयोजन पूरा होगा।
2. संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधातों की तुलना में बहुत अधिक है।
3. परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की सीमा इस परियोजना के लिए आवश्यक पूर्णतया ग्थार्थ न्यूनतम सीमा तक है और इससे कोई विस्थापित नहीं हो रहा है। अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।




पिडावा (झालावाड़)

(आर.ए. मीना)

अधिशासी अभियन्ता  
चंवली परियोजना नहर  
खण्ड झालावाड़

नरेश जैन

सामाजिक कार्यकर्ता  
पिडावा



(बललाल महावर)


अधिशासी अभियन्ता एवं  
प्रावै. सहा. वास्ते अधीक्षण अभियन्ता  
जल संसाधन वृत्त झालावाड़



(चन्द्रसेन मीना)  
निदेशक, सरदार पटेल  
आई.टी.आई झालावाड़

भगवतीवास

ग्राम पंचायत डोली  
पं.सं. पिडावा मु. सुमेरा



(अजीत कुमार जैन)

अधिशासी अभियन्ता  
जल संसाधन खण्ड झालावाड़



गिरिश च  
पं.सं. पिडावा मु. सुमेरा

राजस्थान सरकार  
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक: 18/भू0अ0/ज0स0/2018/  
श्रीमान जिला कलेक्टर  
झालावाड़।

दिनांक :-

विषय:-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के गठन बाबत गागरिन मध्यम सिंचाई परियोजना की नहरीतंत्र (डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम) के निर्माण हेतु।

प्रसंग:-आपका कार्यालय पत्रांक 2158-59 दिनांक 03.07.2019 एवं पत्रांक 2774 दिनांक 07.10.2019 एवं पत्रांक 2926 दिनांक 25.10.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में गागरिन मध्यम सिंचाई परियोजना की नहरीतंत्र (डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम) निर्माण के अन्तर्गत भूमि अर्जापति के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 10 के तहत निम्नानुसार बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता है:-

क्र० सं०	भूमि अर्जापति अधिनियम, 2013 की धारा-7 एवं नियम, 2016 के नियम 10 के अनुसार प्रावधान।	सदस्य।
1.	दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी।	1. श्री चन्द्रसेन मीना निदेशक सरदार पटेल आई.टी.आई. झालावाड़। 2. श्री सुरेश जैन सामाजिक कार्यकर्ता पिडावा।
2.	ग्राम पंचायत/नगरपालिका के दो प्रतिनिधि।	1. श्रीमति विष्णुबाई मेघवाल पत्नी बजरंग लाल सरपंच ग्राम पंचायत बोलियाबुर्जग। 2. श्री मेरुलाल दागी सरपंच ग्राम पंचायत डोला।
3.	पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ।	1. श्री बाबूलाल महावर अधिशाषी अभियन्ता एवं प्राव. सहा. वास्ते अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन, वृत्त झालावाड़। 2. श्री अजीत कुमार जैन अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, झालावाड़।
4.	वन विभाग का सदस्य।	श्री नन्दलाल प्रजापत डी0एफ0ओ0 झालावाड़।
5.	परियोजना से सम्बन्धित एक तकनीकी विशेषज्ञ।	श्री आर.ए.मीना अधिशाषी अभियन्ता चवली परियोजना नहर खण्ड झालावाड़।

भवदीय,

३०

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्राव. सहा.  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक 18/भू0अ0/ज0स0/2018/ 779 - 782

दिनांक :- 07.07.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त, झालावाड़।
3. अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त, झालावाड़।
4. अधिशाषी अभियन्ता चैवली परियोजना नहर खण्ड, झालावाड़।

*(Handwritten signature)*

(जितेन्द्र दीक्षित)

उप सचिव एवं प्रावै. सहा.

वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,  
राजस्थान, जयपुर।